स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट–56, दिनांकः 20–02–2024

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराकर पैसा लेकर अभ्यार्थियों को पेपर पढवाने तथा वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर फर्जी सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह का 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 20–02–2024 को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराकर पैसा लेकर अभ्यार्थियों को पेपर पढ़वाने तथा वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर फर्जी सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर, गिरोह के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– अभिताभ रावत पुत्र स्व0 कूक सिंह, निवासी ग्राम टुडीला, थाना जौरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश।

बरामदगीः–

1– 03 अदद कूट रचित आधार कार्ड

2– 03 अदद प्रवेश पत्र (भिन्न–2 अभ्यार्थियों एवं भिन्न–2 परीक्षाओं के)

3– 02 अदद स्मार्ट फोन ।

गिरफ्तारी स्थल/दिनाकः–

, क्राफ्ट मेला मैदान के पास, झरना गेट वाली रोड के पास थाना नवाबाद जनपद झांसी। दिनांक–20–02–2024, समय– 03.45 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करके पेपर लीक कराने एवं परीक्षार्थियों के स्थान पर फर्जी सॉल्वर बैठाने वाले गिरोह के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाइयों को अभिसूचना संकलन कर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु दिये निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, फील्ड यूनिट, नोएडा के पर्यवेक्षण तथा श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट, नोएडा के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री अक्षय पी0के0 त्यागी, एसटीएफ नोएडा द्वारा टीम गठित कर जनपद झांसी में भ्रमणशील रहकर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी ।

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट नोएडा को दिनांक 20–02–2024 को विश्वसनीय एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जनपद झांसी में विभिन्न केन्द्रीय एंव राजकीय परीक्षाओं में पेपर लीक कराने वाले तथा मूल अभ्यार्थियों के स्थान पर फर्जी सॉल्वर बैठाने वाले गिरोह का एक सदस्य अपनी क्रेंटा गाडी से क्राफ्ट मेला मैदान के पास झरना गेट वाली रोड से गुजरने वाला है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया कर जनपद झांसी के स्वाट टीम प्रभारी से उक्त सूचना सांझा कर साथ लेकर संयुक्त रूप से त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए घेराबन्दी करके व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुए उपरोक्त स्थल से मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त अभिताभ रावत, उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अभिताभ रावत, उक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 47 साल है और उसने वर्ष 2006 में डी0ई0डी0 कर लिया था । बताया उसकी वर्ष 2009 में प्राइमरी स्कूल जोरा मुरैना, मध्य प्रदेश में शिक्षक की नौकरी लग गयी थी । वर्ष 2017 में जब वह एम0ए0 कर रहा था तो उसकी मुलाकात राजेन्द्र रावत निवासी ग्राम चनोता जिला मुरैना मध्य प्रदेश से हुई थी, उसके गॉव में उसके गॉव की लडकी की शादी राजेन्द्र के गॉव के लडके के साथ हुई थी, जिसके कारण राजेन्द्र रावत से मित्रता हो गयी थी । राजेन्द्र रावत प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यार्थियों से पैसा लेकर फर्जी सॉल्वर बैठाकर परीक्षओं में धांधली कराता था और राजेन्द्र रावत से ही अभिताभ रावत ने यह काम सीखा था। उसके बाद अभियुक्त अभिताभ रावत ने भी अभ्यार्थियों से पैसा लेकर परीक्षाओं में फर्जी सॉल्वर बैठाकर

धांधली करने का काम शुरू कर दिया था । अभियुक्त अभिताभ रावत ने बताया कि उसने रनवीर जाट निवासी गाडा इग्लास जनपद अलीगढ, जो कि डी0इ0डी0 में उसके साथ ही पढता था, को वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश आरक्षी भर्ती परीक्षा में तीन लाख रूपया देकर सतेन्द्र रावत की जगह रनवीर जाट को परीक्षा देने के लिए बैठाया था जिसमें सतेन्द्र व रनवीर पकड़े गये थे जो थाना जीरापुर जिला राजगढ से जेल भेजे गये थे तथा इस केस में अभियुक्त अभिताभ रावत की अग्रिम जमानत हो गयी थी। वर्ष 2016 में जब ऑनलाइन परीक्षाऐं होने लगी तब पुनः अभिताभ रावत ने राजेन्द्र रावत से संपर्क किया और राजेन्द्र के माध्यम से बबलू रावत से मिला तथा बबलू के साथ मिलकर वर्ष 2016 में सिलिकाजेल से बायोमैट्रीक इंप्रेशन बनाकर सॉल्वर बैठाकर परीक्षा में धाधली कराने लगा । अभियुक्त अभिताभ के द्वारा वर्ष 2017 में व्यापम भर्ती परीक्षा एंव मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में धांधली करके अभ्यार्थियों की जगह फर्जी सॉल्वर को बैठाकर परीक्षा कराई थी लेकिन अगले ही दिन बबलू रावत एवं वीरेन्द्र रावत आदि के साथ अभिताभ रावत भी पकडा गया था तथा थाना थाटीपुर ग्वालियर से जेल गये थे और इस केस में सेशन कोर्ट से अभिताभ रावत को पॉच साल की सजा हुई थी परन्तु हाईकोर्ट में अपील के उपरान्त 31 महिने के बाद वर्ष 2020 में जमानत पर बाहर आया। इस घटना के सम्बन्ध में थाना थाटीपुर, ग्वालियर पर मु0अ0स0 458/17 धारा 420/467/468/471 भादवि एवं 3/4 परीक्षा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ है। जेल में रहने के दौरान अभियुक्त अभिताभ रावत की मुलाकात विष्णु चौधरी निवासी आगरा से हुई थी, जो पूर्व से ही परीक्षा धांधली के केस में ग्वालियर की जेल में बन्द था । अभियुक्त अभिताभ रावत, वर्ष 2021 से लेकर अब तक मध्य प्रदेश की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी सॉल्वर बैठाकर बायोमेट्रिक बाईपास करके पेपर लींक कराकर एंव स्क्रीन शेयरिंग करके धांधली करा चुका है। अभियुक्त अभिताभ रावत द्वारा दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2024 को हुई उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती में विष्णु चौधरी निवासी आगरा से संपर्क करके भर्ती कराने के नाम पर कई अभ्यार्थियों से पैसा एकत्र करके पेपर पढवाने के नाम पर धोधाधडी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबाद जनपद झांसी पर मु0अ0सं0 76/2 धारा 417/419/420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराकर, दाखिल किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त अभिताभ रावत के विरूद्व ज्ञात अपराधिक इतिहास है–

1–मु0अ0सं0–458/17 धारा–420/467/468/471 भादवि एवं 3/4 परीक्षा अधिनियम, थाना थाटीपुर, ग्वालियर।

2– मु0अ0सं0–76/24 धारा–417/419/420/467/468/471 भादवि, थाना नवाबाद, जनपद झांसी।

––